

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची।

दिनांक-09वीं जुलाई 2021

सेवा में,

Mrs Roshni Kumari,
Nishant Engineering Works,
Som Vihar, Near SRI Institute, Bariatu, Ranchi, Jharkhand

विषय:- मौजा—लोहरदगा, प्लाट नं०—Industrial Plot No. 30 ; Survey plot No. 1677P, खाता संख्या—313, वार्ड नं०—NA, थाना—लोहरदगा—194, जिला—लोहरदगा में निर्मित SFK Manufacturer फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन—लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार निर्मित Nishant Engineering Works फैक्ट्री भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशमनालय पदाधिकारी, लोहरदगा से कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक—81 दिनांक—31.05.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निर्मित फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. निर्मित फैक्ट्री परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउण्ड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ—आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. निर्मित फैक्ट्री भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रयेक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक—एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय।
4. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो—दो अदद डिलिवरी होज एवं दो—दो अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. निर्मित फैक्ट्री भवन के अग्नि व्यवस्था के लिए कम से कम 3 Kg / Centimeter square के दाब पर हर जगह जलापूर्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए शक्तिशाली पम्प / सीरिज पर्पिंग की व्यवस्था की जाय।
6. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
7. फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
8. फैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 09 Kg क्षमता वाले दो—दो अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
9. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
10. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के०जी० क्षमता के 06-06 अदद सी०ओ०टू तथा 06 के०जी० क्षमता के 08-08 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
12. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि—सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।

14. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
15. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।